

केन्द्रीय स्कीम की राशि

सं0सं0-3/यो-सं0क0-48/2023/..... 10

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 08.10.2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत नारी अदालत के संचालनार्थ में रु० 158.04 लाख (एक करोड़ अठावन लाख चार हजार) रु० मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन शक्ति योजना के उप घटक सम्बल अन्तर्गत महिलाओं के सुरक्षा के लिए नारी अदालत उप योजना संचालित है। उक्त योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर महिलाओं के सामने आने वाले तुच्छ प्रकृति (उत्पीडन, तोड़फोड़ एवं हको की कटौती) के मामलों को हल करने के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति के तहत केन्द्र प्रायोजित सम्बल उप योजना अन्तर्गत नारी अदालत के संचालनार्थ कुल रु० 158.04 लाख (एक करोड़ अठावन लाख चार हजार) रु० मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

(राशि

लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	मिशन शक्ति (सम्बल)- नारी अदालत	51-2235021030233	0233.3106	158.04
कुल (एक करोड़ अठावन लाख चार हजार मात्र)				158.04

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी 38 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश/CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0- 3/यो-सं0क0-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-11/टि0 पर दिनांक 24.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो-संक०-48/2023/ के टिप्पणी पृष्ठ सं0-15/टि0 पर दिनांक 08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो-संक०-48/2023/...../10 /...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, आई.सी.डी.एस., निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो-संक०-48/2023/...../10 /...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो-संक०-48/2023/...../10 /...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

जापांक- 3/यो-संक०-48/2023/...../10 /...../दिनांक- 08.01.2025

प्रतिलिपि -अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।